प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

एकल पीठ : माननीय न्यायमूर्ति श्री विजय कुमार श्रीवास्तव

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 5447/2006

याचिकाकर्ता - श्रीमती सुधा सोनी, पति नन्हू सोनी, आयु लगभग 30 वर्ष, गृहिणी, निवासी मठपारा वार्ड क्रमांक 8, हनुमान मंदिर के पास, कवर्धा, जिला कबीरधाम (छत्तीसगढ़)।

बनाम

उत्तरवादीगण - 1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, डी.के.एस. भवन, रायपुर (छत्तीसगढ़)।

2. आयुक्त, महिला एवं बाल विकास, कबीरधाम, जिला कबीरधाम (छत्तीसगढ़)।

3. कलेक्टर, कबीरधाम, जिला कबीरधाम (छत्तीसगढ़)।

4. परियोजना अधिकारी, एकीकृत विकास परियोजना, कवर्धा, जिला कबीरधाम (छत्तीसगढ़)।

5. जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास, कवर्धा, जिला कबीरधाम (छत्तीसगढ़)।

6. आयुक्त, नगर पालिका निगम, कबीरधाम (छत्तीसगढ़)।

7. श्रीमती द्रौपती ध्रुव, पति भगवत, जाति गोंड, वार्ड क्रमांक 8, मठपारा, बुधामहादेव वार्ड, कवर्धा, जिला कबीरधाम (छत्तीसगढ़)।

....

उपस्थित:

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

याचिकाकर्ता की ओर से श्री दीपक जैन, अधिवक्ता ।

उत्तरवादी क्रमांक 1 से 5/राज्य की ओर से श्री एन.के. अग्रवाल, उप महाधिवक्ता ।

उत्तरवादी क्रमांक 6 की ओर से श्री एच.एम. सोलापुरकर, अधिवक्ता।

उत्तरवादी क्रमांक 7 की ओर से श्री एम.के. भादूरी, अधिवक्ता।

....

आदेश

(दिनांक 25/01/2007 को पारित)

परियोजना अधिकारी, एकीकृत विकास परियोजना, कवर्धा ने दिनांक 24/05/2006 के आदेश द्वारा वार्ड क्रमांक 8, कवर्धा के आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के पद पर याचिकाकर्ता के स्थान पर उत्तरवादी क्रमांक 7, श्रीमती द्रौपती ध्रुव का चयन किया। इससे आहत होकर याचिकाकर्ता ने भारत के संविधान का अनुच्छेद 226 / 227 के अंतर्गत यह रिट याचिका प्रस्तुत की है।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

2. राज्य शासन ने पत्र क्रमांक F1(A)/99/95/50-1 दिनांक 06/01/2000 के माध्यम से आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के पद पर नियुक्ति हेतु शैक्षणिक योग्यता एवं अन्य आवश्यकताएँ निर्धारित की थीं। उक्त दिशा-निर्देशों में यह भी प्रावधान है कि यदि सभी अभ्यर्थियों की योग्यता एवं अन्य आवश्यकताएँ समान हों, तो विधवा/परित्यक्ता महिला/अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति समुदाय के सदस्य को प्राथमिकता दी जाएगी। उत्तरवादी क्रमांक 4 द्वारा आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के पद हेतु योग्य अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित किए गए। याचिकाकर्ता, उत्तरवादी क्रमांक 7 तथा अन्य अभ्यर्थियों ने अपने आवेदन शैक्षणिक प्रमाण-पत्रों एवं अन्य दस्तावेजों सहित प्रस्तुत किए। नगर परिषद, कवर्धा ने प्राप्त आवेदनों एवं दस्तावेजों के आधार पर एक तुलनात्मक विवरण तैयार कर विभाग को प्रस्तुत किया। दिनांक 24/05/2006 को आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं आंगनवाड़ी सहायिका के चयन हेतु एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें समिति ने

वार्ड क्रमांक 8, कवर्धा के लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के पद पर उत्तरवादी क्रमांक 7 का चयन किया।

3. उक्त चयन को अनियमितता के आधार पर एक पार्षद, पवन कुमार जायसवाल द्वारा चुनौती दी गई। परियोजना अधिकारी, एकीकृत विकास परियोजना, कवर्धा ने इस संबंध में जांच की और जांच पूर्ण होने के पश्चात अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया, जिसमें उत्तरवादी क्रमांक 7 का चयन दिशा-निर्देशों के अनुरूप पाया गया।

4. याचिकाकर्ता एक विवाहित महिला है, जो 12वीं तक शिक्षित है, गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करती है तथा सोनी जाति से संबंधित है। उसने वार्ड क्रमांक 8 के आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के पद हेतु आवेदन किया था, परंतु उसका चयन नहीं किया गया और उसके स्थान पर उत्तरवादी क्रमांक 7 का चयन कर लिया गया। अतः उसने उत्तरवादी क्रमांक 7 की नियुक्ति को चुनौती दी, यह आरोप लगाते हुए कि उत्तरवादी क्रमांक 7 आवश्यक योग्यता/शर्तों को पूरा नहीं करती, क्योंकि वह गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले परिवार की सदस्य नहीं है, अतः वह नियुक्ति के लिए पात्र नहीं थी। इसके बावजूद आवश्यक शर्तों की अनदेखी करते हुए उत्तरवादी क्रमांक 7 को आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के पद पर नियुक्त कर दिया गया।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

.**5** उत्तरवादियों ने याचिका का विरोध किया। उत्तरवादी क्रमांक 1 से 5 ने अपने जवाब में यह प्रस्तुत किया कि उत्तरवादी क्रमांक 7, श्रीमती द्रौपती ध्रुव, गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करती थीं, जिसका समर्थन आवश्यक प्रमाण-पत्र द्वारा किया गया था। वह अनुसूचित जनजाति वर्ग से संबंधित थीं, अतः उन्हें याचिकाकर्ता की तुलना में वरीयता प्राप्त थी। इस प्रकार, वरीयता के मापदंड के अनुसार पात्र होने के कारण उनका चयन दिनांक 24-05-2006 के आदेश द्वारा किया गया। पार्षद पवन कुमार जायसवाल द्वारा की गई शिकायत की जांच की गई। यद्यपि दिनांक 05-06-2006 को स्थल निरीक्षण के समय उत्तरवादी क्रमांक 7 के पास गरीबी रेखा के नीचे होने का प्रमाण-पत्र उपलब्ध नहीं था, इसलिए एक टिप्पणी की गई, किन्तु इससे उनकी पात्रता समाप्त नहीं होती, क्योंकि उन्होंने पूर्व में अपने आवेदन के साथ आवश्यक दस्तावेज, अर्थात गरीबी रेखा प्रमाण-पत्र

प्रस्तुत किया था। राज्य सरकार द्वारा दिनांक 06-01-2000 को जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार उत्तरवादी क्रमांक 7 का चयन विधिसम्मत एवं न्यायोचित है।

(6) याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के पद पर नियुक्ति के लिए गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले अभ्यर्थी को वरीयता दी जानी चाहिए। याचिकाकर्ता ऐसी महिला है जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करती है, जबकि उत्तरवादी क्रमांक 7 गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन नहीं करती; अतः याचिकाकर्ता के स्थान पर उत्तरवादी क्रमांक 7 की नियुक्ति अवैध है। इसके विपरीत, उत्तरवादियों ने यह तर्क दिया कि उत्तरवादी क्रमांक 7 ने अपने आवेदन के साथ शैक्षणिक प्रमाण-पत्रों सहित सभी आवश्यक दस्तावेज, जिनमें गरीबी रेखा के नीचे होने का प्रमाण-पत्र भी सम्मिलित है, प्रस्तुत किए थे। योग्यता, अभ्यर्थिता एवं गरीबी रेखा संबंधी शर्तों के संदर्भ में श्रीमती सुधा सोनी (याचिकाकर्ता) एवं श्रीमती द्रौपती ध्रुव (उत्तरवादी क्रमांक 7) दोनों समान पाई गईं। अतः निर्णायक तत्व वरीयता का मापदंड रहा, जो अनुसूचित जनजाति की सदस्य होने के कारण श्रीमती द्रौपती ध्रुव (उत्तरवादी क्रमांक 7) को प्राप्त था। अतः उत्तरवादी क्रमांक 7 का चयन किया गया और उनका चयन पूर्णतः विधि के अनुरूप है।

WebCopy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

(7) उत्तरवादी क्रमांक 1 से 5 द्वारा प्रस्तुत उत्तर के साथ संलग्न अनुलग्नक आर/3 से स्पष्ट होता है कि याचिकाकर्ता एवं उत्तरवादी क्रमांक 7, दोनों ही विवाहित महिलाएँ हैं, जो 12वीं तक शिक्षित हैं तथा गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करती हैं। दिनांक 06-01-2000 के दिशा-निर्देशों के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदाय की महिला को वरीयता दी जानी थी। अतः द्रौपती ध्रुव, जो अनुसूचित जनजाति समुदाय की सदस्य हैं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के पद हेतु चयन के लिए पात्र थीं। अनुलग्नक आर/4, जो उत्तरवादी क्रमांक 1 से 5 के उत्तर के साथ संलग्न है, स्पष्ट रूप से स्थापित करता है कि उत्तरवादी क्रमांक 7 गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले वर्ग की सदस्य हैं। इसी प्रकार, अनुलग्नक आर/5 (जाति प्रमाण-पत्र) से यह सिद्ध होता है कि उत्तरवादी क्रमांक 7 अनुसूचित जनजाति समुदाय से संबंधित हैं।

(8) जहाँ तक नगर परिषद, कवर्धा के एक पार्षद पवन कुमार जायसवाल द्वारा की गई शिकायत का संबंध है, उसकी जांच परियोजना अधिकारी द्वारा की गई। स्थल निरीक्षण के दौरान उत्तरवादी क्रमांक 7 के पास गरीबी रेखा के नीचे का कार्ड उपलब्ध नहीं पाया गया, जिसका उल्लेख दिनांक 05-06-2006 के प्रतिवेदन में किया गया। किन्तु, स्थल निरीक्षण के पश्चात परियोजना अधिकारी द्वारा दिनांक 15-06-2006 को विस्तृत प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया, जिसमें यह उल्लेख किया गया कि द्रौपती ध्रुव गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले वर्ग की सदस्य हैं तथा उनका नाम संबंधित सूची में क्रमांक 8 पर दर्ज है। उत्तरवादी क्रमांक 1 से 5 के उत्तर के साथ संलग्न अनुलग्नक आर/3 से यह भी स्पष्ट होता है कि जब तुलनात्मक विवरण तैयार किया गया, उस समय अथवा उससे पूर्व ही यह पाया गया था कि उत्तरवादी क्रमांक 7 गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले परिवार से संबंधित हैं और उनका नाम सूची में क्रमांक 8 पर अंकित था। स्पष्टतः, जब उत्तरवादी क्रमांक 7 वास्तव में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाली श्रेणी से संबंधित थीं तथा उन्होंने अपने आवेदन के साथ इस संबंध में प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया था, तब उन्हें पुनः परियोजना अधिकारी के समक्ष वही प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने की बाध्यता नहीं थी। स्थल निरीक्षण के समय उनके पास प्रमाण-पत्र का अभाव होना उनकी पात्रता को समाप्त नहीं करता, क्योंकि उन्होंने पूर्व में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष अपनी पात्रता सिद्ध करने हेतु आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत कर दिए थे।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

(9) उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में यह स्पष्ट है कि उत्तरवादी क्रमांक 7 एवं याचिकाकर्ता दोनों ही विवाहित महिला अभ्यर्थी थीं तथा समान रूप से योग्य थीं। किन्तु जब आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के पद पर चयन हेतु वरीयता का प्रश्न उत्पन्न हुआ, तब उत्तरवादी क्रमांक 7, जो अनुसूचित जनजाति समुदाय की सदस्य हैं, याचिकाकर्ता की अपेक्षा वरीयता की अधिकारी थीं। तदनुसार उनका चयन किया गया और उनके चयन में किसी प्रकार की अनियमितता या अवैधता नहीं पाई जाती है।

(10) याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने यह भी तर्क प्रस्तुत किया कि उत्तरवादी क्रमांक 7 के गरीबी रेखा के नीचे होने का प्रमाण-पत्र एक कूटरचित दस्तावेज है और ऐसे कूटरचित

दस्तावेज के आधार पर कोई नियुक्ति नहीं की जा सकती। इसके विपरीत, उत्तरवादियों ने इस तर्क का विरोध करते हुए कहा कि गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले व्यक्तियों का राशन कार्ड विधिवत सत्यापन के पश्चात सक्षम लोक सेवक द्वारा जारी किया गया है तथा वह एक वैध दस्तावेज है। जब तक उसे सक्षम प्राधिकारी द्वारा निरस्त या अमान्य घोषित नहीं किया जाता, तब तक उस पर विश्वास किया जा सकता है। उत्तरवादी क्रमांक 7 वास्तव में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रही थीं और जब उन्होंने आवेदन प्रस्तुत किया, तब वे ऐसे परिवार की सदस्य थीं जो गरीबी रेखा के नीचे आता है। इस संबंध में उन्होंने अपने आवेदन के साथ आवश्यक दस्तावेज भी प्रस्तुत किए थे। अभिलेखों से स्पष्ट है कि उत्तरवादी क्रमांक 7, भगवत ध्रुव की पत्नी हैं। गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले परिवारों को इस प्रकार का राशन कार्ड प्रदान किया जाता है। ऐसा राशन कार्ड भगवत ध्रुव के नाम से जारी किया गया है, जिसमें उनके परिवार के सदस्यों का विवरण दिया गया है और उसमें द्रौपती ध्रुव को उनकी पत्नी के रूप में दर्शाया गया है। यह दस्तावेज शासन के निर्देशों के अनुसार सक्षम लोक सेवक द्वारा जारी किया गया है। जब तक इस दस्तावेज को विधि के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा निरस्त या अमान्य घोषित नहीं किया जाता, तब तक इसका विधिक महत्व बना रहता है और केवल आरोपों के आधार पर इसे अस्वीकार नहीं किया जा सकता। तथापि, यदि याचिकाकर्ता को यह प्रतीत होता है कि उक्त दस्तावेज कूट है, तो वह विधि अनुसार उपयुक्त प्रक्रिया अपनाकर उसे निरस्त कराने के लिए स्वतंत्र है।

(11) परिणामतः, इस याचिका में कोई सार नहीं पाया जाता है, अतः इसे निरस्त किया जाता है। कोई वाद व्यय नहीं।

सही/-

(विजय कुमार श्रीवास्तव)

न्यायाधीश

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur